ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 226-230

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों का शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

शीतल पाण्डेय

शोध अध्येत्री– शिक्षा विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-06.07.2022, Revised-11.07.2022, Accepted-14.07.2022 E-mail: shitalhetimpur@gmail.com

सारांश:– ***शिक्षा मानव विकास का मूल आधार है। शिक्षा ही वह सशक्त साधन है जिससे मानव के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक पक्ष का विकास समन्वित रूप से होता है। यद्यपि शिक्षा इस कार्य को प्राचीन काल से करती चली आ रही है। वस्तुतः मानव जाति के विकास का आधार शिक्षा प्रणाली ही है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, जिसका प्रस्फुटन शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के ज्ञान, बोध व कौशलों में वृद्धि करके उसे एक सभ्य सुसंस्कृत बनाकर समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक बनाया जाता है।***

कुंजीभूत शब्द– शिक्षा मानव विकास, सशक्त साधन, शारीरिक, मानसिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक,आध्यात्मिक पक्ष।

शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही समय व परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था बदलती रही है। हम सभी जानते हैं कि वैदिक काल के पश्चात क्रमशः बौद्ध काल एवं मुस्लिम काल में समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था भिन्न–भिन्न रूपों में दिखाई दी। अँग्रेजी शासन काल में शिक्षा का नवीन रूप में प्रादुर्भाव हुआ, स्वतन्त्रता के बाद अँग्रेजी शिक्षा प्रणाली में भारत के वर्तमान परिवेश को देखते हुये भारतीय मनीषियों, शिक्षाविदों द्वारा परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गयी। इस आवश्यकता को मूर्त रूप देने के लिए समय– समय पर शिक्षा समितियों को गठित करके शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव मांगे गये।

शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अनेक समितियों तथा आयोगों का गठन किया गया। परन्तु सन 1950 में लागू किये गये भारतीय संविधान मे कुछ सीमित क्षेत्रों को छोड़कर शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया। इसीलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के प्रारम्भिक वर्षों से शिक्षा की राष्ट्रव्यापी नीति तैयार करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में अंतिम दौर पर शिक्षा व्यवस्था एवं इसके पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गयी तब 1964 में भारत सरकार द्वारा "डॉ० दौलत सिंह कोठारी" की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 1966 में इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया आयोग की सिफारिशों पर चर्चा हुई जिसमें विद्वानों एवं शिक्षाविदों के सुझाव के आधार पर 1968 में भारत सरकार ने शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करते हुये एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की थी।

जिसमें यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्र के विकास एवं राष्ट्रीय एकता व समाजवादी समाज के निर्माण के लिए शिक्षा का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली को इस रूप में स्वीकार किया गया कि यह राष्ट्रीय सेवा के लिए छात्रों में दृढ़ संकल्प चरित्र निर्माण कर सके। इसी प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुये भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की।

इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर सन 1977 तक भारत की शासन व्यवस्था अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिकार में रही परन्तु 1977 में भारतीय जनता पार्टी को लोक सभा में बहुमत मिला और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार ने देश की सत्ता संभाली, और सत्ता में आयी जनता सरकार ने यह अनुभव किया कि राष्ट्र की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में अनेक कमियाँ हैं । जिसमें सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है द्य इस प्रकार विचार–विमर्श के उपरान्त सन 1979 में भारत सरकार ने नवीन राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया। इस नीति के अन्तर्गत 23 शीर्षक रखे गये। लेकिन जनता सरकार का अन्त होते ही इस नीति का भी अन्त हो गया।

5 जनवरी 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री "श्री राजीव गांधी" ने राष्ट्र के नाम दिये गये अपने सम्बोधन में देश को 21वीं सदी में प्रवेश के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा की नीव को मजबूती प्रदान करने के प्रयास में नयी शिक्षा नीति तैयार करने की बात कही थी द्य जिसके लिए तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराकर अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य (Challenge of Education: A Policy Prospective) नामक 68 पृष्ठीय दस्तावेज प्रकाशित कराया गया। जिसमें भारतीय शिक्षा की 1951 से लेकर 1985 तक का सम्पूर्ण सांख्यिकीय विवरण उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं और गुण– दोषों को प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू हुई और सभी प्रान्तों से शिक्षाविदों के मत प्राप्त हुये। केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त मतों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और इसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

प्रस्तुत किया और पुनः इसे मई 1986 में पास कराया गया द्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुचारु रूप से लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन कार्यक्रम भी तैयार किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1986 की प्रमुख संस्तुतियाँ –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1986 को कुल बारह खण्डों में बाँटा गया है जिनमें कुल 157 बिन्दुओं के अन्तर्गत नई शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया है। विभिन्न खण्डों के मुख्य–मुख्य बिन्दुओं को आगे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं को अपने में समाहित किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारह खण्ड –

1.	प्रस्तावना	7.	शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन
2.	शिक्षा सार तथा भूमिका	8.	शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा अभिनवीकरण
3.	शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली	9.	अध्यापक
4.	समानता के लिए शिक्षा	10.	शिक्षा प्रबन्ध
5.	विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन	11.	संसाधन तथा समीक्षा
6.	तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा	12.	भावी स्वरूप

नई शिक्षा नीति 1986 की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि सम्पूर्ण देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया जिसमें अधिकांश राज्यों नें 1023 की संरचना को अपनाया।

इसमें यह भी घोषणा की गयी थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वयन और परिणामों की समीक्षा की जाएगी किन्तु केंद्र सरकार ने तीन वर्ष बाद ही आचार्य राम मूर्ति समिति 1990 का गठन कर दिया था। अभी इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार भी शुरू नहीं हुआ था कि सरकार ने इस नीति के क्रियान्वयन एवं परिणामों कि समीक्षा हेतु जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन कर दिया। इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन किया इस नीति की कार्य योजना 1992 में तैयार की गयी, जिसे संशोधित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से भी जाना जाता है। नई शिक्षा नीति 1986 का गठन शिक्षा की चुनौतियों के रूप में किया गया था। अतः इसका भारत की शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त स्थायी एवं व्यापक प्रभाव पड़ा जिसका कारण संभवतः उसके द्वारा उठाये गये विभिन्न क्रान्तिकारी शैक्षिक कदम थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों का शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव का संक्षिप्त विवरण– देश की यह पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही जिसने शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावित किया। जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में तेजी आयी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के फलस्वरूप 2009 तक 85 प्रतिशत प्राथमिक एवं 65 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों की दशा में सुधार हुआ है। इसके साथ ही मध्यमिक शिक्षा के प्रसार में भी तेजी आयी। इसके लिए खुली शिक्षा का विस्तार हुआ है जिससे राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय में भी लगभग 6 लाख से अधिक छात्र–छात्राएं पंजीकृत हुए हैं। वहीं गति निर्धारक विद्यालयों के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक 661 नवोदय विद्यालय भी खुले हैं। उच्च शिक्षा के प्रसार में भी तेजी आयी जिसके फलस्वरूप स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय और व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण तथा अन्य तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा से जुड़े संस्थान खुले।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रादुर्भाव– आज के बदलते परिवेश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये विश्व पटल पर शिक्षा के मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता को स्वीकार करते हुये 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का प्रस्ताव जनता के समक्ष रखा था। सरकार गठन के उपरान्त 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति बनाने के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू किया। जिसके आधार पर वर्तमान भारत के आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और दुनिया के सबसे अधिक युवाओं वाले इस देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को इसरो के अन्तरिक्ष वैज्ञानिक "के० कस्तूरीरंजन" की अध्यक्षता वाली समिति के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को की गयी। इस नीति में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की बात की गयी है। इस नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

निवेश का लक्ष्य रखा गया है द्य नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development& MHRD) का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' (Education Ministry) करने को भी मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 की प्रमुख संस्तुतियाँ–

प्रारंभिक शिक्षा–

– शैक्षिक पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है जिसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को रखा गया है। जिसके प्रथम भाग में ऐसे बच्चे जो 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के अन्तर्गत आते हैं उनके लिए आँगनवाड़ी/ बालवाटिका/ प्री–स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण 'प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' (Early Childhood Care and Education& ECCE) को सुलभ करना है। इसी के द्वितीय भाग में 6 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–1 और 2 में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिये अन्य क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जायेगा।

– इससे संबंधित योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से होगा ।

बुनियादी साक्षरता पर एक राष्ट्रीय मिशन–

– इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की बात की गई है। जिसे सभी राज्यों में प्राथमिक स्तर के कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वर्ष 2025 तक क्रियान्वयन की योजना बनायी जायेगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव–

– इस नीति में पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए अध्यापन प्रणालीधविधि के विकास पर बल दिया गया है जो छात्रों में 21वीं सदी के अनुरूप कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दे सके।

– इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।

कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप की व्यवस्था दी जाएगी साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा जायेगा।

– 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training& NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' [National Curricular Framework for School Education] (NCFSE, 2020&21) तैयार की जाएगी।

उच्च शिक्षाः

– NEP–2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसकी पूर्ति के लिए देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ने की बात की गयी है।

– इस नीति में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण सुधार किया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे तथा चयनित पाठ्यक्रम की शिक्षा (जैसे– 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक) का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

– विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' देने का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सकेगी।

– नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (ड.चैपस) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।

– भारत उच्च शिक्षा आयोग

व चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India &HECI) का गठन किया जाएगा ।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

– HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानोंधनिकायों का निर्धारण किया गया है –
– विनियमन हेतु– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council& NHERC)
– मानक निर्धारण– सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council& GEC)
– वित पोषण– उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council&HEGC)
– प्रत्यायन– राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council& NAC)
– महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी ।
– देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' की स्थापना की जाएगी ।

अन्य सुधार–

– शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान–प्रदान हेतु 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' (National Educational Technology Forum& NETF) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों का वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव का संक्षिप्त विवरण– नवीन शिक्षा की रूपरेखा में भविष्य की आकांक्षाओं एवं इच्छाओं को समाहित करने और भारतीय समाज के पारम्परिक मूल्यों और संस्कृतियों को वैश्विक पटल पर आधुनिकता के साथ ज्ञान रूपी शिक्षा को समग्र रूप में जोड़ने की कल्पना इस शिक्षा नीति में की गयी है। इसने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ने का कार्य किया है। शिक्षाविदों में इस शिक्षा नीति को परिवर्तन की बुनियाद के रूप में देखा है। इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में रचनात्मकता, गतिशीलता स्थापित करके पाठ्यक्रम को गहराई से जोड़ा है।

इस शिक्षा नीति ने भारतीय युवाओं को अनेक संभावनायें प्रदान की है जो हमे आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वास से पूर्ण वैश्विक ज्ञान शक्ति के रूप में उभरने का अवसर प्रदान किया है और मजबूत नीव का निर्माण करने हेतु भविष्य की ओर अग्रसर है। इसलिए नई शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों का शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले नवीन प्रभावों का अध्ययन भावी शिक्षा के क्षेत्र में एक संचित प्रयास है।

21वीं सदी में उभरते भारत के शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद को सुदृढ़ करके उसे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में नई शिक्षा नीति 1986 की महत्वपूर्ण भूमिका रही। परिवर्तन की इसी कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतिया भी नये भारत के निर्माण में कारगर साबित हो सकेंगी।

इसलिए वर्तमान में नई शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों का शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना आवश्यक प्रतीत होता है। इस नवीन शिक्षा संरचना के नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा, मध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में एक विशेष अध्ययन करना शोधकर्ता नें समीचीन समझा है।

समस्या कथन– प्रस्तुत शोध का कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों का शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन है।

उद्देश्य–

1. प्राथमिक शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 1986 के संस्तुतियों के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों के बदलाव का अध्ययन करना।
3. प्राथमिक शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों के प्रभाव एवं बदलाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. माध्यमिक शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 1986 के संस्तुतियों के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. माध्यमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों के बदलाव का अध्ययन करना।
6. माध्यमिक शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों के प्रभाव एवं बदलाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
7. उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 1986 के संस्तुतियों के प्रभाव का अध्ययन करना।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

8. उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों के बदलाव का अध्ययन करना।

9. उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों के प्रभाव एवं बदलाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

10. व्यावसायिक शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 1986 के संस्तुतियों के प्रभाव का अध्ययन करना।

11. व्यावसायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों के बदलाव का अध्ययन करना।

12. व्यावसायिक शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों के प्रभाव एवं बदलाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की आवश्यकता– स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त देश के द्रुतगामी विकास हेतु समय–समय पर विभिन्न शैक्षिक नीतियों, संस्तुतियों एवं कार्यक्रमों को लाया गया है। इन शैक्षिक नीतियों एवं संस्तुतियों का राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाये जाने का भी यही उद्देश्य रहा है। 21वी सदी के भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गयी है निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियाँ वर्तमान आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करने में अप्रभावी प्रतीत हुयी। इसलिए उदीयमान भारत की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाने की पहल की गयी और अब इसे मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियाँ किस प्रकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हैं और इसके सफल क्रियान्वयन से भारत विश्व के अग्रणी देशों के कितना समकक्ष होगा यह इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव पर निर्भर करेगा।

वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्राथमिक शिक्षा स्तर, मध्यमिक शिक्षा स्तर, उच्च शिक्षा स्तर और शिक्षक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों शिक्षा नीतियों की संस्तुतियों का क्या प्रभाव होगा? और उसके क्या परिणाम होंगे? इन सभी बिन्दुओं पर शोध कार्य अपेक्षित रहा है। अतः शोधार्थी द्वारा चयनित शोध शीर्षक "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों का शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन" शोध अध्ययन की दृष्टि से पूर्णरूपेण औचित्यपूर्ण एवं आवश्यक है।

अध्ययन का परिसीमांकन– प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों का प्राथमिक, मध्यमिक, उच्च स्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोध अध्ययन को पूर्ण करने हेतु शोधकर्ता द्वारा गुणात्मक प्रविधि का प्रयोग किया जायेगा ।

आंकड़ों का संग्रहण– प्रस्तुत शोध में शोध तकनीकों को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत से आंकड़ों का संग्रह किया जायेगा। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन किया जायेगा। जबकि द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत पुस्तकों, सरकारी प्रतिवेदनों एवं पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय से सम्बन्धित लेखों एवं प्राप्त आंकड़ो को विश्लेषण के उपरान्त प्रयोग में लाया जायेगा।

*****